***जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 15.06.2024***

***जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस पर तहसील खलीलाबाद पर पहुँचकर जनता की समस्याओं का किया गया निस्तारण***

आज दिनांक 15.06.2024 को जिलाधिकारी संतकबीरनगर ***श्री महेन्द्र सिंह तंवर*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस पर संयुक्त रुप से ***तहसील खलीलाबाद*** पर पहुँचकर पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जहां पर फरियादियों से उनकी समस्याओं को मौके पर सुना गया तथा वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। तत्पश्चात वहां मौजूद शिकायत पंजिका का निरीक्षण करते हुए निस्तारित हो चुकी शिकायतों के संबंध मे फीडबैक भी लिया गया। इस अवसर पर राजस्व व पुलिस के अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

## *पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में वाहनों पर लाल नीली बत्ती व हूटर सायरन,वाहनों पर पुलिस कलर्स का अवैध प्रयोग के विरूद्ध दिनांक 11.06.2024 से 25.06.2024 तक चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक यातायात द्वारा की गई कार्यवाही*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी य़ातायात ***श्री केशवनाथ*** के पर्यवेक्षण में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने एवं बढ़ती सड़क दुर्घटना के रोकथाम हेतु वाहनों पर लाल नीली बत्ती हूटर साइरन का अवैध प्रयोग, चार पहिया वाहनों एवं दो पहिय़ा वाहनों पर पुलिस कलर्स के प्रयोग को प्रतिबन्धित करने के क्रम में प्रभारी यातायात ***श्री परमहंस*** द्वारा मेंहदावल बाईपास पर यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनांक 15.06.2024 को वाहनों की सघन चेकिंग किया गया। आम जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए मोडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हुटर व काली फिल्म के विरुद्ध अभियान चलाकर वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के साथ लोगों से अपील भी किया गया कि वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें।

***दबिश के दौरान 06 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 05 नफर वारण्टी नाम पता 1- राजेश पुत्र रामसमुझ निवासी

कनैला टोला महुरैया 2- राजू चौहान पुत्र नदारु चौहान निवासी घोरांग 3- महेन्द्र पुत्र सीताराम निवासी बेलघाट 4- रामललित पुत्र रामलौट निवासी नेतवापुर 5- संजय पुत्र अमृतलाल निवासी नरायनपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री रवीन्द्र नाथ शर्मा, उ0नि0 श्री जय प्रकाश कुशवाहा, उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव, उ0नि0 श्री गामा यादव, उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0का0 ध्रुवनारायण यादव, का0 शैलेष यादव, का0 संजय कुमार, का0 महेन्द्र निषाद।

*थाना महुली पुलिस द्वारा* 01 वारण्टी नाम पता कुसुम पत्नी जीतनरायन निवासी झिंगुरापार थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, म0का0 शिवानी सिंह।

***शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार***

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

## *मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 18 वाहनों से 18000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया*

आज दिनांक 15.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 18 वाहनों से 18000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी करते हुए रुपए हड़पने के मामलें में 01 अभियुक्ता को 05 लाख 85 हजार 5 सौ रु0 के नकली नोट व धोखाधड़ी से प्राप्त 35 हजार रु0 नकद व 01 अदद मोबाइल फोन के साथ किया गया गिरफ्तार***

***दिनांक 15.06.2024 को वादी अजय नाथ मिश्र पुत्र स्व0 हरिशंकर मिश्र निवासी कौड़ीराम थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर द्वारा सूचना दिया गया कि एक महिला द्वारा फेसबुक के माध्यम से फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भेजने के उपरान्त बातचीत करके रुपए बदलने की बात करते हुए मेंहदावल बाईपास के पास 03 लाख रुपए के बदले नकली नोट (बच्चों के खेलने वाले रुपए) पकड़ा दिए। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 447/2024 धारा 406/420/417/411 भा0द0वि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था*।**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में धोखाधड़ी व जालसाजी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण के निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 05 लाख 85 हजार 500 रु0 के नकली नोट, 35 हजार रु0 नकद व 01 अदद मोबाइल फोन के साथ अभियुक्ता हाजरा खातून उर्फ हीना पुत्री हफीजुल्लाह निवासी फतेहपुर मनबेला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को मेंहदावल बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त-***

हाजरा खातून उर्फ हीना पुत्री हफीजुल्लाह निवासी फतेहपुर मनबेला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

***बरामदगी-***

1- 05 लाख 85 हजार 500 रु0 के नकली नोट।

2-35 हजार रु0 नकद (धोखाधड़ी से प्राप्त)।

3-01 अदद मोबाइल फोन।

*पंजीकृत अभियोग-*

मु0अ0सं0 447/2024 धारा 406/420/417/411 भा0द0वि0 जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल–*** उ0नि0 श्री सुरेश यादव, का0 सुरेश प्रसाद, का0 इन्द्रेश राजभर, म0का0 प्रेमाबिन्द।

***आगामी त्यौहार बकरीद को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत थाना कोतवाली खलीलाबाद पर आयोजित की गई पीस कमेटी की मीटिंग, लोगों से आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की गयी अपील***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आगामी त्योहार बकरीद को सकुशल संपन्न कराने, सुरक्षा व कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 15.06.2024 को क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री ब्रजेश सिंह* की अध्यक्षता में निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रामेश्वर यादव के नेतृत्व में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान उपस्थित लोगों से त्योहार के दौरान आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, साथ ही मीटिंग में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, धर्मगुरुओं,नगर पंचायत चेयरमैन,सभासद,ग्राम प्रधान,जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों से अपील की गयी कि सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखें, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों/असामाजिक तत्वों/किसी भी प्रकार की आपराधिक अवांछित गतिविधियां दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें,बल्कि अफवाह की पुष्टि उच्चाधिकारियों से करें तथा जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाये रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट न करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों तथा किसी भी प्रकार की भड़काऊ/गलत/अशोभनीय पोस्ट शेयर न करें, लोगों से शांति व आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई तथा त्यौहार के दौरान गड़बड़ी पैदा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु सख्त हिदायत दिया गया।